भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 248

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पारंपरिक कृषि

248. श्री दिलीप शइकीयाः

श्री लुम्बा रामः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खेती में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से रसायनों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण युवाओं, किसानों, उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पारंपरिक और जैविक खेती के संबंध में असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसे और सशक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या राजस्थान के सिरोही और जालौर जिलों में पारंपरिक कृषि योजना लागू नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार वर्ष 2015-16 से पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) स्कीमों के माध्यम से किसानों को पारंपरिक/जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दोनों ही स्कीमें जैविक खेती से जुड़े किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन, विपणन, फसलोपरांत प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक सभी तरह की सहायता पर बल देती है और पारंपरिक कृषि पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

पीकेवीवाई के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जैविक क्लस्टरों में 3 वर्षों के लिए 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सीधे किसानों को डीबीटी के माध्यम से ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रदान किए जाते हैं। विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए 3 वर्षों के लिए 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण के लिए 3 वर्षों के लिए 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 3 वर्षों के लिए 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता भी प्रदान की जाती है।

एमओवीसीडीएनईआर के तहत एफपीओ के निर्माण, किसानों को जैविक इनपुट, गुणवत्ता वाले बीज/रोपण सामग्री के लिए सहायता और प्रशिक्षण, हैंडहोल्डिंग तथा प्रमाणन हेतु 3 वर्षों के लिए 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। जैविक खेती के लिए असम सहित पूरे देश में किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए 3 वर्षों के लिए 32,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) कुल 2481 करोड़ रूपये (भारत सरकार का हिस्सा 1584 करोड़ रूपये और राज्यों का हिस्सा 897 करोड़ रूपये) परिव्यय वाला एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम में

7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 15,000 प्राकृतिक खेती क्लस्टर बनाने की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक क्लस्टर लगभग 50 हेक्टेयर के समीपवर्ती क्षेत्र में बनाया जाएगा और क्लस्टर में लगभग 125 किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। किसानों को प्राकृतिक खेती के इनपुट आसानी से उपलब्ध कराने के लिए मिशन के तहत 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) की परिकल्पना की गई है। प्रशिक्षित किसानों के लिए प्री मानसून ड्राई बुवाई (पीएमडीएस), बीजामृत, जीवामृत आदि का प्रयोग, विविध फसल प्रणाली, प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता, पशुओं के रखरखाव, प्राकृतिक खेती के इनपुट तैयार करने या बीआरसी से प्राकृतिक खेती के इनपुट खरीदने, इनपुट तैयार करने के लिए ड्रम और भंडारण कंटेनर खरीदना आदि जैसे प्राकृतिक खेती के लिए स्कीम में 2 वर्ष तक प्रति वर्ष प्रति किसान प्रति एकड़ 4,000 रुपये का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक किसान प्राकृतिक खेती की शुरुआत छोटे जोत वाले क्षेत्र में कर सकता है और अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र तक प्राकृतिक खेती के तहत सहायता के लिए पात्र हो सकता है। कृषि सखियों, किसान मास्टर प्रशिक्षकों और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा हैंडहोल्डिंग सहायता के साथ किसानों के लिए प्राकृतिक खेती के पैकेज पर व्यापक प्रशिक्षण का प्रावधान है।

(ख): पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर स्कीमों के तहत ग्रामीण युवाओं/किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, हैंडहोल्डिंग, प्रचार, जागरूकता कार्यक्रम, फसलोपरांत रखरखाव और विपणन में सहायता जैसी कई पहल की गई हैं। पीकेवीवाई के तहत, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 3 साल के लिए 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जबकि एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन, प्रचार आदि के लिए 3 साल के लिए 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जबकि एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रचार कार्यक्रम के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) तथा गाजियाबाद, नागपुर, बैंगलोर, इंफाल और भुवनेश्वर स्थित इसके क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र (आरसीओएनएफ) जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर विभिन्न एचआरडी प्रशिक्षण और ऑनलाइन जागरूकता अभियान आयोजित कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान आरसीओएनएफ द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कृषि विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को जैविक खेती के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित करती है।

(ग): वर्ष 2015-16 से, एमओवीसीडीएनईआर के तहत, असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 2.19 लाख किसानों को शामिल करते हुए 434 एफपीओ विकसित कर 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है।

अब तक, एमओवीसीडीएनईआर स्कीम के तहत 24,425 किसानों को कवर करते हुए 23,501 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए असम राज्य को कुल 134.13 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।
(घ): राजस्थान सरकार ने सिरोही और जालौर जिलों सहित राजस्थान राज्य में पीकेवीवाई योजना के कार्यान्वित होने की सूचना दी है।
पीकेवीवाई क्लस्टरों का विवरण नीचे दिया गया है:-

जिला	**कलस्टरों की संख्या**	**क्षेत्र(हे.)**	**शामिल किए गए किसान**
सिरोही	125	2500	4963
जालौर	245	4900	3442

अनुबंध-I

वर्ष 2023-24 में आयोजित राज्यवार प्रशिक्षण (वास्तविक मोड)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2023-24	
		आयोजित कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1	27
2.	असम	1	51
3.	बिहार	2	76
4.	छत्तीसगढ	1	51
5.	गोवा	1	20
6.	गुजरात	1	59
7.	हरियाणा	1	51
8.	हिमाचल प्रदेश	5	144
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3	130
10.	झारखंड	2	85
11.	कर्नाटक	14	556
12.	केरल	8	190
13.	मध्य प्रदेश	7	738
14.	महाराष्ट्र	13	465
15.	मणिपुर	3	137
16.	ओडिशा	13	601
17.	पुदुचेरी	3	90
18.	राजस्थान	2	100
19.	तमिलनाडु	12	900
20.	तेलंगाना	2	72
21.	त्रिपुरा	2	73
22.	उत्तर प्रदेश	10	853
23.	उत्तराखंड	1	50
24.	पश्चिम बंगाल	1	507
	कुल योग	**109**	**6026**

स्रोत:- एनसीओएनएफ

****